

1.6 (A)

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand  
No---

Office of the District Collector Pithoragarh

Dated-23-12-14


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.270** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Barabe, Undana, Fusarkhali, Godhagair, Kharkgair** village (s) in **Munakot (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.270** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

  
210 30/12/14

Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)

  
जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

1.6 (B)


प्रारूप-30.1  
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT *Pithoragarh* (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. *H.C. Semu...* A.S deputy commissioner, *Pithoragarh* on dated *23.12.14* at time *2.15 pm* at *Collect. Office* which application claiming rights in *Barab...* area measuring *0.2.70* hect for the construction of *Water Road* forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of *Pithoragarh* sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;... *Pithoragarh*  
Dated;... *23.12.14*

  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee



## प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना क अंतर्गत बडावे उण्डणा फुसरखाली गोधागैर खर्कगैर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में ऐंचोली बडावे मोटर मार्ग के बडावे से उण्डणा फुसरखाली गोधागैर खर्कगैर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। ( शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.270 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.270 हे० वन भूमि ) का प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील मूनाकोट) की दिनांक 19/12/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~अनुराज शर्मा~~, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री <del>अनुराज शर्मा</del>	उपजिलाधिकारी	<del>अनुराज शर्मा</del>	अध्यक्ष
2-	श्री <del>अनिल कुमार शर्मा</del>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	<del>अनिल कुमार शर्मा</del>	सदस्य
3-	श्री <del>अपेक्ष आर्या</del>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	<del>अपेक्ष आर्या</del>	सदस्य/सचिव
4-	श्री <del>मनीष लाम्सा</del>	बी०डी०सी० क्षेत्र	<del>मनीष लाम्सा</del>	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में ऐंचोली बडावे मोटर मार्ग के बडावे से उण्डणा फुसरखाली गोधागैर खर्कगैर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। परियोजना हेतु 0.270 हे० वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ————— परिक्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु .....हे० वन भूमि ..... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- 19/12/16  
जनपद- पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ~~पिथौरागढ़~~ को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- 19/12/16  
जनपद- पिथौरागढ़

**प्रारूप-30.3**

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना क अंतर्गत बड़ावे उण्डणा फुसरखाली गोधागैर खर्कगैर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गडावा  
तहसील पिथौरागढ़ जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बड़ावे उण्डणा फुसरखाली गोधागैर खर्कगैर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु ( 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.270 हे० सिविल सोयम भूमि 0.00 हे०, वन पंचायत भूमि ) अर्थात् कुल 0.270 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़ावे द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बड़ावे के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित

ह०/-  
ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित



प्रारूप-30.4

दिनांक .....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत वासि

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	लाला मरियु राम	
2-	नवीन चन्द जोशी	
3	हरिश्चन्द्र जोशी	
4	रमेश चन्द जोशी	
5	प्रकाश चन्द जोशी	
6	गिरधर जोशी	

ह0/-  
ग्राम प्रधान

